10/1/20. पत्रा. पेश। वकील प्रार्थी उप.। वकील विपक्षी न तो स्वयं उप. और न ही विपक्षी स्वयं हाजिर। इनके लिए न्यायालय में विधिवत रूप से बार-बार आवाजें लगवाई गई। इसके उपरान्त भी विपक्षी स्वयं तथा मय अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली केशव कुमार पेशकार नम्बर से अंत की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 16/2014

उनवान

1. श्री वालचन्द पिता रूपाजी डांगी निवासी अमरपुरा तहसील सराडा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लाला पिता अमराजी डांगी निवासी अमरपुरा तहसील सराडा जिलाउदयपुर।

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए व
आदेश नियम 1,2 धारा 151 जा.दी.

::: निर्णय :::

दिनांक: 10.01.2020

उपस्थिति:–

1. श्री गोतन पटेल अभिभाषक प्रार्थीगण।

संक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा तहसील सराडा जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता सं. 105 पुराना 103 कुल किता 32 रकबा 3.13 हेक्टेयर लगानी 33.53 रूपये के 1/2 भाग का वादी एकमात्र खातेदार, काश्तकार है, एवं 1/2 भाग प्रतिवादी नं. 02 का है, प्रतिवादी इस वाद में वादी नहीं बनने से इन्हें प्रतिवादी बनाया है।
क्रम सं. 03 में वर्णित भूमि से प्रतिवादी सं. 01 को कोई सम्बन्ध, हक, हिस्सा, स्वामित्व, काश्त आदि कुछ भी नहीं होने से प्रतिवादी को वादी के काश्त कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने का कोई

उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

अधिकार नहीं है, इसके बावजूद दिनांक 25.06.2014 को प्रतिवादी सं. 01 जे.सी.बी. मशीन से वादी की भूमि के दक्षिणी पूर्वी पाली की बाड को नष्ट कर डाली व पक्का निर्माण करने के लिये नींव खोदने लगा जब वादी को इसकी सूचना मिली तो वादी ने वहां जाकर प्रतिवाद सं. 01 को रोका तो उसने वादी को धक्का दिया जिससे वादी नीचे गिर गया अगर वादी उसे रोकने की और कोशिश करता तो शायद प्रतिवादी सं. 01 वादी के साथ मारपीट करता। इसलिए प्रार्थी को मजबूर होकर विपक्षी के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश करना पडा।

प्रार्थी ने प्रार्थना की कि प्रार्थी की वादग्रस्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 किसी प्रकार से कब्जा नहीं करे, न किसी प्रकार का निर्माण करें एवं न उक्त कृषि भूमि बर्बाद करे व किसी से करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र कुमार चौबीसा उपस्थित हुए। विपक्षी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। दिनांक 10.01.2020 को विपक्षी अधिवक्ता व विपक्षी स्वयं बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अतः प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 16/2014
प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए व
आदेश नियम 1,2 धारा 151 जा.दी.

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि मौजा अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा तहसील सराडा आराजी नं. 348 रकबा 0.18 व आराजी नं. 1123/347 रकबा 0.04 हे. कुल किता 2 रकबा 0.22 हेक्टेयर प्रार्थी की आराजी पर मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें तथा प्रार्थी के आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द धाकड़)
उपखण्ड अधिकारी
सराडा (उदयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
सराडा जिला उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner